money bhaskar

योजना /FSSAI ला रही है नया नियम, होटलों और रेस्टोरेंट्स के मेनू कार्ड में खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू भी लिखी जाएगी

10 से ज्यादा ब्रांच वाले रेस्टोरेंट पर ये नियम लागू होगा

Sep 19,2019

नई दिल्ली. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) एक नया नियम बना रही है जिसके तहत होटलों और रेस्टोरेंट्स के मेनू कार्ड में अब खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू भी लिखी जाएगी। FSSAI के नए नियमों को मुताबिक 100 ग्राम के बर्गर में 295 कैलोरी और 100 ग्राम पिज्जा में 260 कैलोरी होनी चाहिए। यही नहीं मेन्यू लेबलिंग करते समय पोषक तत्व की मात्रा भी लिखनी होगी।

10 से ज्यादा ब्रांच वाले रेस्टोरेंट पर लागू होगा नया नियम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FSSAI का नया नियम 10 से ज्यादा चेन वाले रेस्टोरेंट पर लागू होगा। बड़ी फूड चेन को अपने मेनू पर कैलोरी वैल्यू लिखना होगा। इसके लिए फूड सेफ्टी रेगुलेटर एसएससीआई नियम तैयार कर रहा है। हर फूड आइटम के सामने उसकी कैलोरी वैल्यू भी लिखनी होगी। प्रति व्यक्ति दिन भर में जरूरत कैलरी भी मेनू पर लिखना होगा।